न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या :– 298/2014 एल.आर.एक्ट

1. कमला देवी बेवा दादूराम जाति गुरड़ा साकिन चक 6 एल.एस.एम तहसील अनूपगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. नरेश कुमार पुत्र दादूराम ज़ाति गुरड़ा साकिन अनूपगढ जिला श्री गंगानगर ।
2. पन्नालाल पुत्र दादूराम जाति गुरड़ा साकिन चक 6 एल.एस.एम तहसील अनूपगढ ।
3. राजस्थान सरकार ।

रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः 1– श्री विजय कुमार पारीक, अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं0 1
3– श्री सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक ।

निर्णय

दिनांक 18–07–2018

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम् 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार घड़साना के आदेश दिनांक 29.10.2014 जिसके द्वारा रेस्पोन्डेंट सं01 नरेश कुमार का वसीयत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये गये, के विरुध्द प्रस्तुत हुई है ।

2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसील अनूपगढ के चक 6 एलएसएम के पत्थर नम्बर 305/389 के किला नं0 1 ता 6 की 6 बीघा कृषि भूमि अपीलान्ट्स के पति व रेस्पोन्डेंट्स के पिता को दादुराम पुत्र गोरखाराम जाति गुरड़ा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेंट के पिता दादुराम का दिनांक 6.6.2007 देहान्त हो जाने पर उक्त विवादित भूमि के बाबत रेस्पोन्डेंट सं01 नरेश कुमार पुत्र दादुराम ने दिनांक 16–7–2012 को तहसीलदार अनूपगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र मय वसीयत की प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त भूमि के सम्बन्ध में एक वसीयत दिनांक 15.3.04 को प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित की हुई है। अतः वसीयत अनुसार प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज किया जावे । उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार अनूपगढ ने कार्यवाही करते हुए प्रार्थी नरेश कुमार का वसीयत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वसीयत के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिनांक 29.10.2014 पारित किया । तहसीलदार अनूपगढ के उक्त निर्णय दिनांक 29.10.14 के विरुध्द अपीलान्ट्स कमलादेवी द्वारा इस न्यायालय में यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेंट के निमित सम्मन जारी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर प्राप्त किया गया । अपील में उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो के कथन को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट्स के पति व रेस्पोन्डेंट् सं0 1 व 2 के पिता स्व. श्री दादुराम पुत्र गोरखाराम जाति गुरड़ा के नाम तहसील अनूपगढ के चक 6 एलएसएम के पत्थर नम्बर 305/389 में कुल 24.10 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन शुदा है व मृतक दादुराम के जायज वारिसान का कब्जा काश्त है । यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पान्डेंट सं01 ने दिनांक 16.7.2012 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि उसके पिता ने उसके पक्ष में आवंटित भूमि में से 6 बीघा भूमि की वसीयत दिनांक 15.3.2004 को निष्पादित कर दी है एवं पिता दादुराम का देहान्त दिनांक 6.6.2007 को हो चुका है । अतः वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जावे । रेस्पोंन्डेंट सं01 के उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना दस्तावेज देखे एवम् वारिसान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना इन्तकाल दर्ज करने का आदेश प्रदान किया है, जबकि वसीयत रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं थी एवं रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वसीयत पेश ही नहीं की गयी । अतः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी वसीयत की प्रति सन्देहास्पद है । वरवक्त वसीयत विवादित भूमि गैर खातेदारी की रही है । यह कि मृतक दादुराम ने दिनांक 18.6.2004 को समाचार पत्र में अपने जीवन काल में ही यह लिखवा दिया था कि '' उसकी अन्तिम इच्छा है कि उसके द्वारा कोई वसीयत नहीं की गयी है तथा मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद समस्त वारिसान के हक में उक्त भूमि दर्ज की जावे। अभिभाषक अपीलान्ट ने आगे अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि गैर खातेदारी की रही है तथा गैर खातेदारी भूमि की वसीयत शून्य होती है । अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जाकर विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे ।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं01 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोन्डेंट के पिता स्व. दादुराम के नाम चक 6 एलएसएम के मु0 नं0 305/389 में 24.10 बीघा रकबा पुख्ता आवंटन हुआ था, जिसकी खातेदारी हो चुकी है । दादुराम की दो पत्नी है, जिनमें पहली पत्नी रुकमा के तीन पुत्र व द्वितीय पत्नी अपीलान्ट कमला के एक लड़का रेस्पोन्डेंट सं01 नरेश था, जो अपने पिता की सेवा चाकरी करता था, जिससे प्रसन्न होकर स्वअर्जित खातेदारी भूमि 6.200 हैक्टेयर भूमि में से 6 बीघा भूमि की वसीयत अपने पुत्र के पक्ष में निष्पादित की गयी है । शेष भूमि अन्य वारिसान के नाम दर्ज हो चुकी है । दादुराम की दिनांक 6.6.07 को मृत्यु हो जाने के पश्चात तहसीलदार अनूपगढ के समक्ष दिनांक 16.7.12 को वसीयत हेतु नामान्तरकरण दर्ज हेतु निवेदन किये जाने पर तहसीलदार द्वारा वसीयत की नियमानुसार जांच की गयी, जिसमें वसीयत के गवाहों द्वारा वसीयत सत्य

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

होने की पुष्टि की गयी है । वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है, अतः शीलार्थी वसीयत को अगर सन्देहास्पद मानते हैं तो वे सिविल न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं । तहसीलदार अनूपगढ द्वारा वसीयति प्रकरण में नियमानुसार जांच के पश्चात निर्णय पारित किया है, अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है ।

I. अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में प्रथम आधार यह लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सबूत व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है ?

उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली की ऑर्डर शीट दिनांक 10.9.14 एवं 30.9.14 के अनुसार पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादी सं01–2 विचाराधीन थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का जवाब/साक्ष्य प्राप्त किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.14 पारित कर वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिये गये हैं । इससे अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन को बल मिलता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वसीयति जांच में जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर अवसर प्रदान नहीं किया गया है ।

II. अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में द्वितीय आधार यह लिया है कि वसीयत के समय विवादित भूमि गैर खातेदारी की रही है, जबकि खातेदारी भूमि की ही वसीयत की जा सकती है ?

उक्त बिन्दु के मध्यनजर हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न जाबन्दी सम्वत 2065–2068 पृष्ठ–14 का अवलोकन किया । उक्त जमाबन्दी में अंकित नामान्तरकरण टिप्पणी के अनुसार मृतक दादुराम के नाम विवादित भूमि के खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 151 दिनांक 6.3.12 स्वीकृत किया गया है । इससे यह प्रतीत होता है कि वरवक्त वसीयत दिनांक 15.3.04 उक्त भूमि गैर खातेदारी की रही है । प्रकरण में वसीयत कर्ता दादुराम की मृत्यु दिनांक 6.6.07 को होने के पश्चात खातेदारी का नामान्तरकरण दिनांक 6.3.12 दर्ज होने के पश्चात रेस्पोन्डेंट नरेशकुमार द्वारा दिनांक 16.7.12 को तहसीलदार अनूपगढ के समक्ष वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वसीयति जांच के दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वसीयत का अवलोकन करने एवम् विवादित भूमि के खातेदारी होने का कोई उल्लेख अपीलाधीन आदेश में नहीं किया गया है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

III. अभिभाषक अपीलन्ट ने अपील में तृतीय आधार यह लिया है कि मृतक दादुराम ने दिनांक 18.6.04 के दैनिक समाचार पत्र में अपने जीवनकाल में ही यह लिखवा दिया था कि उसके द्वारा जीवनकाल में कोई वसीयत नहीं की गयी है तथा उसके मरणोपरान्त भूमि सभी वारिसान के हक में दर्ज की जावे । जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को उक्त साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ?

उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में हमने अपील के साथ अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दैनिक अखबार प्रताप केसरी (श्रीगंगानगर) दिनांक 18.6.04 का अवलोकन किया । उक्त दैनिक अखबार के पेज सं04 पर दादुराम पुत्र गोरखाराम जाति गुरड़ा साकिन 6 एलएसएम. तहसील अनूपगढ की ओर से यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की हुई है कि '' मेरे द्वारा अपनी कृषि भूमि चक 6 एलएसएम के 25 बीघा की आज तक वसीयत किसी शख्स के हक में नहीं की है, नां ही आयन्दा करुंगा । मेरे मरणोपरान्त मेरी भूमि का स्थानान्तरण मेरे परिजनों के नाम से तस्दीक किया जावे। '' अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के उक्त साक्ष्य को ग्राह्य कर अपीलाधीन आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

7- उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयती जांच में मूल वसीयत का अवलोकन करने, वरवक्त वसीयत दिनांक 15.3.04 को विवादित भूमि के खातेदारी होने, मृतक वसीयत कर्ता दादुराम द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 18.6.04 के दैनिक अखबार प्रताप केसरी (श्रीगंगानगर) में प्रकाशित साक्ष्य के बाबत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.10.14 में कोई उल्लेख नहीं किया है । अतःयह अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.10.14 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार अनूपगढ को उपरोक्त तथ्यों की जांच के परिप्रेक्ष्य में इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित (Remand) किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विवादित भूमि के सम्बन्ध में पुनः विधि अनसार नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे ।

8- तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रंति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.7.18 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर